रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 1983/भाद्र 23, 1905
No. 157] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 1983/BHADRA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं०: 41-ईटीसी (पीएन)/83

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 1983

विषय.—1-1-1984 से 31-12-1984 तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, आस्ट्रिया, फिनलैन्ड और कनाडा को खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत पोशाकों और सलाई से तैयार किए गए वस्त्रों का निर्यात करने के लिए योजना ।

मि० सं० 2/57/83-ई-1 —यह योजना तैयार पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों की कतिपय मदों के संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मनी गणतंत्र संघ, फ्रान्स, इटली, बेनिलक्स, यू० के०, आयरिश गणतंत्र, डेनमार्क और ग्रीस) आस्ट्रिया, फिनलैन्ड और कनाडा को 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसंबर, 1984 तक की अवधि के लिए निर्यातों से संबंधित है ।

2 योजना को प्रशासित करने के लिए अभिकरण

जब तक अन्यथा रूप से निदेश न दिया जाए तब तक परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् (ए०ई०पी०सी०) निर्यात हकदारियों का आबंटन करेगी और इस योजना के अंतर्गत आने वाली सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए आवश्यक प्रमाणन करेगी, परन्तु सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों का आबंटन ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली (डब्ल्यू० एंड डब्ल्यू०, ई० पी० सी०) द्वारा किया जाएगा । लेकिन सलाई से बुने हुए वस्त्रों के संबंध में अपेक्षित प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा किया जाता रहेगा । इस योजना के अंतर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूचियां परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद् के पास उपलब्ध है । सरकार को यह अधिकार होगा कि वह योजना के प्रशासन के लिए अभिकरणों के संबंध में जैसा वह उचित समझे परिवर्तन कर सकती है ।

3. आबंटन की प्रणाली और मात्रा

(1) निर्यात के लिए मात्रा प्रत्येक के सामने संकेतित दर पर निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार आबंटित की जाएगी :

प्रणाली	1984 के वार्षिक स्तर का
(क) भूतकालीन निष्पादन	50
(ख) पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश	35
(ग) विनिर्माता/निर्यातक	10
(घ) केंद्रीय/राज्य निगम	5

(2) यदि सरकार उचित समझे तो उसे द्विपक्षीय समझौते में दी गयी उदारता का उपयोग करने का अधिकार होगा।

4. आबंटन वर्ष का विभाजन और अवधियों के बीच मात्रा का आबंटन

(1) भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता/निर्यातक प्रणाली के मामले में निर्यात के लिए मात्रा का आबंटन करने के प्रयोजनार्थ पूरे कैलेन्डर वर्ष को एक अवधि के रूप में माना जाएगा। केंद्रीय/राज्य निगम और पहले आए सो पहले पाए लघु आदेशों की प्रणाली के मामले मे बुनी हुई मदों के लिए वर्ष को तीन-चार मासिक अवधियों मे विभाजित किया जाएगा, जैसे जनवरी-अप्रैल, मई-अगस्त, और सितंबर-दिसंबर और सलाई से तैयार की गयी मदों के लिए दो अवधियों में अर्थात् जनवरी-अगस्त और सितंबर-दिसंबर मे विभाजित किया जाएगा। इन दो प्रणालियों में बुनी हुई मदों की मात्रा 50 : 35 : 15 के अनुपात में तीन अवधियों मे वितरित की जाएगी, जबकि सलाई से तैयार मदों के लिए मात्रा 85 : 15 के अनुपात में दो अवधियों में वितरित की जाएगी।

(2) उपर्युक्त प्रतिशत को विदेशी बाजार के रुझान को देखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर पुन : समंजित किया जा सकता है।

5. खण्डों को सुरक्षित रखना

(1) पहले आए सो पहले पाए के छोटे आदेशों तथा केंद्रीय/राज्य निगमों की पद्धति के मामले में जहां पर आबंटन सलाई से बुने हुए पोशाकों के साथ मिला दिया जाता है तो उपलब्ध 10 प्रतिशत की मात्रा सलाई से बुनी हुई पौशाकों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

(2) बच्चो की पोशाकों के लिए अंतिम तिथि को सभी श्रेणियों में उपलब्ध मात्राओ का 10 प्रतिशत सुरक्षित रखा जाएगा।

(3) ऊनी पोशाकों के लिए यह आरक्षण विशिष्टकृत देशों और श्रेणी की मात्राओ की शर्त के अनुसार किया जाएगा। इसकी घोषणा वस्त्र आयुक्त द्वारा की जाएगी।

6. भूतकालीन निष्पादन योजना

भूतकालीन निष्पादन हकदारी की परिगणना करने के लिए अभिकरण

(1) प्रत्येक निर्यातक के बारे में भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के अंतर्गत मात्रा की हकदारी की गणना के लिए अभिकरण वस्त्र परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् (ए०ई०पी० सी०) होगी। वस्त्र आयुक्त इस संबंध में क्रियाविधि का निर्धारण करेगा और ए० ई० पी० सी० के कार्य का सर्वेक्षण करेगा।

भूतकालीन निष्पादन हकदारी के लिए पात्रता

(2) केवल वही निर्यात 1984 के लिए भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के अंतर्गत मात्रा के आबंटन के लिए पात्र होगा, यदि उसका 1982 या जनवरी-जून 1983 के दौरान संबद्ध देश/श्रेणी में निर्यात निष्पादन है।

आधार-अवधि

(3) भूतकालीन निष्पादन हकदारी 1981, 1982 और जन-जून, 1983 की अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यातों के आधार पर प्रत्येक देश/श्रेणी समूह के यथानुपात के लिए निश्चय किया जाएगा। भूतकालीन निष्पादन हकदारी का यथानुपात आबंटन संबद्ध देश/श्रेणी में आधार अवधि के दौरान निर्यात के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन के बराबर अधिकतम उच्चतम सीमा के अधीन होगा। किसी भी व्यक्तिगत निर्यातक की हकदारी में बाद मे होने वाले किसी परिवर्तन के मामले में यथानुपात मात्रा की जारी प्रक्रिया को पूरा करने की दोबारा आवश्यकता नही है लेकिन संबंधित निर्यातक की हकदारी में उचित समंजन कर दिया जाएगा।

भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तान्तरण

(4) भूतकालीन निष्पादन हकदारी वर्ष के दौरान किसी भी समय या तो पूर्ण रूप मे या आंशिक रूप में पोशाकों के अन्य पंजीकृत निर्यातक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन हस्तान्तरित किए जा सकते हैं :—

(क) ऐसी हस्तान्तरित हकदारी के मुद्दे पोत-लदान हस्तान्तरित के निर्यात के रूप में गिने जाएंगे।

(ख) हस्तान्तरी के अधिकार में हस्तान्तरित हकदारी उन्हीं शर्तों के अधीन होंगे जो हस्तांतरण करने वाले के लिए लागू हो।

(ग) जिस निर्यातक ने अपनी हकदारी एक विशेष देश-श्रेणी में दूसरे निर्यातक का हस्तांतरित की हो, वह उसी देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक से भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तांतरण पूर्ण या आंशिक रूप में मांगने के लिए पात्र नहीं होगा।

(घ) जिस निर्यातक ने पूर्ण या आंशिक रूप में विशेष देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक के हस्तांतरण द्वारा हकदारी प्राप्त कर ली है तो वह उसी देश/श्रेणी में अन्य निर्यातक को किसी भी हकदारी का हस्तांतरण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(ङ) वह भूतकालीन निष्पादन हकदारी का व्यक्ति जो किसी देश/श्रेणी में पहले आए सो पहले पाए के छोटे आदेशों की पद्धति के अन्तर्गत किसी हकदारी को प्राप्त करता है तो वह इस प्रकार के छोटे आदेशों की हकदारी के बाद उस देश/श्रेणी में अपने भूतकालीन निष्पादन हकदारी में किसी भी प्रकार का हस्तांतरण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

7. पहले आए सो पहले पाए-लघु आदेश पद्धति

इस पद्धति के अन्तर्गत मात्रा का आबंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्की संविदाओं और साखपत्रों, द्वारा समर्थित आवेदनपत्रों के मद्दे किया जाएगा। साखपत्र वैध, प्रचलित और अपरिवर्तनीय होना चाहिए। मात्रा का आबंटन केवल लघु आदेशों के लिए किया जाएगा। लघु आदेश वे हैं, जो विभिन्न देश/श्रेणी के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा परिमाणात्मक सीमाओं के भीतर किए गए हों। ऐसी परिमाणात्मक सीमाएं उस समय के भीतर घोषित कर दी जाएंगी। इस पद्धति के अन्तर्गत आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(1) निर्यातक को चाहिए कि वह आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से कम से कम छः महीने पहले की अवधि के लिए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (सिलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के संबंध में ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

(2) एक दिन में एक निर्यातक से एक देश/श्रेणी के लिए केवल एक आवेदनपत्र स्वीकार्य होगा लेकिन एक से अधिक आवेदन पत्र किए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे आवेदनपत्रों में आने वाली मात्रा निर्धारित मासिक सीमा के भीतर हो।

(3) इस पद्धति के अन्तर्गत आबंटन 35 दिनों की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन होगा कि सभी आबंटनों की वैधता संबद्ध कोटा अवधि से 10 दिनों के बाद समाप्त होगी। अंतिम अवधि में आबंटन केवल 31 दिसम्बर, 1984 तक वैध होगा।

(4) आबंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर मंजूर किया जाएगा, और जिस दिन उपलब्ध मात्रा अतिपूर्वकीत हो जाएगी, उस दिन पात्रता का निर्णय उच्चतर इकाई मूल्य वसूली के आधार पर किया जाएगा।

(5) भूतकालीन निष्पादन हकदारी वाला निर्यातक संबंधित देश/श्रेणी के लिए पैरा 6(3) के अनुसार यथा-परिकलित अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी का कम से कम 50 प्रतिशत का निर्यात करने के बाद इस पद्धति के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगा। उसके लिए भूतकालीन हकदारी के समस्त शेष अभ्यर्पित करने का भी विकल्प होगा कि वह संबंधित देश/श्रेणी का है और तब वह पहले आए सो पहले पाए के छोटे आदेशों के अन्तर्गत आवेदन करता है बशर्ते कि उसने उस देश/श्रेणी में अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी से किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं किया है।

(6) विनिर्माता/निर्यातक हकदारी के धारक को पहले आए सो पहले पाए के छोटे आदेश पद्धति के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र करने से पूर्व अपनी ऐसी हकदारी का पूरा-पूरा उपयोग करना पड़ेगा।

8. विनिर्माता-निर्यातक पद्धति

इस पद्धति के अन्तर्गत विनिर्माता निर्यातकों को वार्षिक स्तर के 10 प्रतिशत तक की मात्रा का आबंटन किया जाएगा। इस पद्धति के अन्तर्गत पात्रता वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित की जाएगी, जिसके लिए वह विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

9 केन्द्रीय/राज्य/निगम पद्धति

केन्द्रीय/राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों और केन्द्रीय/राज्य स्तरों की शिखर सहकारी हथकरघा विपणन समितियों के लिए वार्षिक स्तर के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत का विशेष आबंटन किया जाएगा। लेकिन यह आबंटन इन निगमों/शिखर समितियों द्वारा केवल सीधे निर्यातों के लिए होगा। निगम/शिखर समितियां नीति में निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने पर आबंटन की अन्य पद्धतियों के अन्तर्गत मात्रा के आबंटन के लिए भी पात्र होंगी। वस्त्र आयुक्त निगमों शिखर समितियों की हकदारी निश्चित करेगा।

10 मंद गति वाली मदें

मंद गति वाली मदों की पहचान के लिए 1983 के प्रथम चार महीनों का और 1982 का निष्क्रमण के हिसाब में लिया जाएगा। यदि सदर्भ के अन्तर्गत इस अवधि के दौरान किसी मद का निर्यात 1983 की प्रथम अवधि के लिए या पूर्ण 1983 वर्ष के दौरान निर्धारित कोटे के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है तो वह मद मंद गति वाली समझी जाएगी। लेकिन सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि मांग की प्रवृत्ति और वार्षिक स्तर के उपयोग की प्रगति के अनुसार ऐसा न्यायसंगत हुआ तो सरकार कसौटी में परिवर्तन करेगी।

इस सार्वजनिक सूचना में अन्यत्र दी गयी किसी अन्य बात के होते हुए भी मंद गति के रूप में घोषित मदों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी :—

(1) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अन्तर्गत पात्रता के लिए वर्ष के दौरान किसी भी समय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकरण किया जा सकता है।

(2) साख-पत्र निर्धारण जरूरी नहीं होगा।

(3) पेशगी धनराशि जमा रखने/बैंक गारंटी देने की जरूरत होगी, केवल पैरा-4 में यथा निर्धारित के आबंटन के मद्दे निष्पादन में कमी होने की हालत में जहाज पर निःशुल्क एक प्रतिशत के भुगतान के लिए निष्पादन बाण्ड की जरूरत होगी

(4) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश के लिए आवेदन-पत्र के मामले मे निर्धारित मात्रिक उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। एक देश/श्रेणी मे एक ही दिन में प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र की संख्या पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(5) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अन्तर्गत लदान बिलों का सत्यापन मन्द गति वाली मदों के लिए उस आबंटन अवधि के अन्त तक के लिए वैध होगा जिसके दौरान आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु उसकी यह शर्त होती कि सम्बद्ध आबंटन अवधि के 10 दिनों के पश्चात सभी आबंटनों की वैधता समाप्त हो जाएगी।

(6) मन्द गति वाली मदों में बच्चों की पोशाकों के लिए अलग न्यूनतम मूल्य हो सकता है।

11. न्यूनतम निर्यात (न्यूनतम) मूल्य:

प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए सामान्यतः केवल एक न्यूनतम मूल्य होगा। वस्त्र आयुक्त न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेंगे। उनको निर्धारित करते समय वे उन सभी संबंधित तथ्यों पर ध्यान देंगे जिसमें यह भी तथ्य शामिल है कि क्या एक विशेष पोशाक को मन्द गति वाली मद के रूप में अभिज्ञात किया गया है या नहीं।

12. निर्यात हकदारी के सत्यापन की वैधता अवधि

जहां वैधता अवधि पैरा-7 में दिए गए के अनुसार होगी, लदान बिल पर सत्यापन पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धतियों के मामले के अतिरिक्त 21 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।

13. साख पत्र :

सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए आबंटन साख-पत्र की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। साख पत्र प्रचालित, वैध और अपरिवर्तनीय होने चाहिए। पहले आए सो पहले पाए लघु आदेशों और केन्द्रीय/राज्य निगम पद्धतियों के मामले में साख-पत्र आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता निर्यातक पद्धतियों के मामले में साख-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता निर्यातक पद्धतियों के मामले में साख-पत्र पृष्ठांकन प्राप्त करते समय प्रस्तुत करने चाहिए। मन्द गति वाली मदों के लिए साख-पत्रों की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पैरा-10 में दिया गया है।

14. देशगी धनराशि निक्षेप, बैंक गारंटी और जुर्माने

(i) भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता-निर्यातक पद्धतियों के मामले में, एक निर्यातक को जनवरी-अप्रैल, 1984 के दौरान लदान की गई मात्रा के लिए किसी पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें 30 अप्रैल, 1984 तक रोक रखी गई निर्यात हकदारी के जहाज-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा तक बैंक गारंटी द्वारा समर्पित पेशगी धनराशि निक्षेप/निष्पादन बांड भेजना होगा। ऐसे पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मई, 1984 होगी। 30 अप्रैल, 1984 के पश्चात् किन्तु पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने से पूर्व किए गए पोतलदान (जो 31 मई, 1984 से पूर्व के होने चाहिए) पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी के अन्तर्गत नहीं आएंगे। वे मात्राएं जो 31 मई, 1984 तक न तो पोतलदान की गई है और न ही पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी के अन्तर्गत आती हैं, उन्हें छोड़ दिया गया समझा जाएगा। 30 सितम्बर, 1984 को या उससे पूर्व ऐसे छोड़ी गई मात्राओं के लिए उनके द्वारा भेजे गए पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी के 50 प्रतिशत भुगतान के पश्चात् निर्यातक को अपनी हकदारी या उसका एक भाग छोड़ देना चाहिए।

(ii) पहले आए सो पहले पाए आदेशों और केन्द्रीय/राज्य निगम पद्धतियों के मामले में निर्यातक को आवेदित मात्रा के जहाज-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत की दर पर बैंक गारन्टी द्वारा समर्थित पेशगी धनराशि निक्षेप/निष्पादन बांड देने होंगे।

(iii) योजना की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अभिज्ञात मन्द गति वाली मदों के लिए निष्पादन में कमी वाले मामले में जहाज-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत के भुगतान के लिए ऊपर बताए गए के अनुसार निष्पादन बन्ड पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी के स्थान पर अपेक्षित होगा।

(iv) निर्यातक, जो भूतकालीन निष्पादन या विनिर्माता-निर्यातक पद्धतियों या आबंटन की अन्य पद्धतियों के अधीन किसी एक विशेष अवधि में उसे पूरे वर्ष के भीतर आबंटित निर्यात हकदारी के 90 प्रतिशत से कम का निर्यात नहीं करता है, उसकी पेशगी धनराशि निक्षेपों/बैंक गारंटियों की जब्ती नहीं होगी। जो निर्यातक 75 प्रतिशत से कम का नहीं किन्तु 90 प्रतिशत से कम का निष्पादन करता है, उसे उपर्युक्त जुर्माने का भुगतान करना होगा। यदि निर्यात हकदारी आबंटन का उपयोग 75 प्रतिशत से कम होता है तो निर्यातक की पूरी पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी जब्त कर ली जाएगी। जहां कहीं भी बाध्यकारी शर्तें होंगी, यह उनके अधीन होगा।

(v) केन्द्रीय/राज्य निगमों के मामले मे जहां उपयोग वैधता अवधि के भीतर 75 प्रतिशत से कम नहीं है, निर्यातक को निर्यात हकदारी वर्ष के भीतर अगली आबंटन अवधि के लिए समय वृद्धि लेनी होगी। ऐसी समय-वृद्धि के लिए आवेदन पत्र सम्बद्ध आबंटन अवधि के अन्त मे एक मास के भीतर दाखिल करने चाहिए। ऐसे मामलों में, निर्यातकों को शेष मात्रा के लिए सामान्य दर से दुगनी दर पर पेशगी धनराशि जमा करनी होगी/बैंक गारन्टी देनी होगी। पूर्ण रूप से निर्यात करने में असफल होने पर पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी पूरी तरह जब्त हो जाएगी।

(vi) वे व्यक्ति जिन्हें कोटा आबंटित किए जाते हैं, किन्तु वे उनका पूर-पूरा उपयोग नहीं करते हैं तो इस संबंध में जो कुछ अन्य कार्यवाई की जाएगी उसे ध्यान में रखे बिना उन्हें और आगे कोटा देने से अपात्र घोषित कर दिया जाएगा ।

15. पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी जब्त करने के विरुद्ध अपील

आवंटित निर्यात हकदारी के उपयोग न करने के लिए पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी के जब्त करने के विरुद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उपयुक्त विचार करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी । परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारन्टी जब्त किए जाने पर संबद्ध निर्यातक ऐसे जब्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त, बम्बई को उसके विरुद्ध अपील कर सकता है । वस्त्र आयुक्त ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शीघ्र से शीघ्र निर्णय देंगे। यदि किसी मामले में, निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है । दूसरी अपील वस्त्र विभाग को की जाएगी और उस पर सरकार द्वारा कायम की गई समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

16. 1 अक्तूबर, 1984 से उपलब्ध मात्रा को शामिल करना

इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी अन्य स्थान पर निहित किसी भी नियम को ध्यान में रखे बिना ही 1 अक्तूबर, 1984 को उपलब्ध शेष मात्रा, चाहे वह बिना स्तरों से या अभ्यर्पण से प्राप्त हो, एक सामान्य समूह में मिलाई गई समझी जाएगी और विभिन्न विभागों के लिए किसी आरक्षण के बिना पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश पद्धति के अधीन उस मात्रा को बांटा जाएगा ।

17. निर्यात हकदारी आबंटन का पर्यवेक्षण

वस्त्र आयुक्त, बम्बई निर्यात हकदारी के आबंटन से संबंधित मामलों पर दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण जारी रखेगा । एक समन्वय समिति, जिस के वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे, और सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, समय-समय पर नीति के परिचालन की पुनरीक्षा करेगी । विचारों में विभिन्नता होने पर वस्त्र आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

18. सीमा शुल्क द्वारा निकासी

(क) नियंत्रण के अधीन उत्पाद

पोतलदान की अनुमति सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तनों पर परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए नियत किसी अन्य उपयुक्त निकाय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग माल परेषणों के लिए मूल पोत परिवहन बिलों पर और उनकी अनुलिपि प्रति पर पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

(ख) हथकरघा उत्पाद

जहां तक कनाडा को नियंत्रित मदों के संगत सभी हथकरघा पोशाकों और आस्ट्रिया को सूती हथकरघा पोशाकों के निर्यात का संबंध है, वहां सीमा-शुल्क द्वारा पोतलदान की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा कम्बीनेशन प्रपत्र के भाग-2 में, "निरीक्षण पृष्ठांकन" के आधार पर दी जाएगी । यू०एस०ए० यूरोपीय आर्थिक समुदाय और फिनलैंड को हथकरघा पोशाकों के निर्यात के मामले में, सीमा-शुल्क पोतलदान की अनुमति वस्त्रसमिति द्वारा प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करने पर इसी प्रकार देगी जैसे कि हथकरघा मूल के माल के लिए।

(ग) भारतीय मद के लिए क्रियाविधि

उन भारतीय मदों के बारे में जो कि ठेठ भारतीय परम्परागत लोक प्रचलित उत्पाद हैं, यू०एस०ए०, यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों, फिनलैंड, आस्ट्रिया और कनाडा को निर्यात के लिए पोतलदान सीमा-शुल्क द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय और वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाण-पत्रों के आधार पर अनुमित किया जाएगा

19. (क) निर्यात-प्रमाण-पत्र, उदगम प्रमाण-पत्र और बीमा।

संगत द्विपक्षी समझौते के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाण-पत्र परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या उनके नाम से विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य परिषद द्वारा जारी किए जाएंगे :—

(i) यूरोपीय आर्थिक समुदाय—

(क) नियंत्रण के अधीन सभी पोशाक बुनी हुई मदों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र और उदगम प्रमाण-पत्र ।

(ख) सभी गैर-नियंत्रित पोशाको/बुनी हुई मदों के लिए लिए उदगम प्रमाण-पत्र

(ii) फिनलैंड.— नियंत्रित मदों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र ।

(iii) आस्ट्रिया:—

नियंत्रण या निगरानी की शर्त के अधीन सूती पावरलूम/मिल निर्मित पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र ।

(iv) कनाडा :—

बुने हुए, पावरलूम, और मिल-निर्मित सूत की पोशाके जो नियंत्रण के अधीन हैं, केवल 500 या इससे कम कनेडियन डालर मूल्य के परेषण के लिए, निर्यात प्रमाण-पत्र ।

(v) यू०एस०ए०.—

(क) यू०एस० डालर 250 से अधिक मूल्य वाले परेषण की पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिए बीमा।

(ख) यू०एस० डालर 250 या इससे कम मूल्य के परेषण की पोशाको/बुने हुए वस्त्रों के लिए छूट प्रमाण-पत्र ।

19.(ख) हथकरघा प्रमाण-पत्र

नियंत्रित मदों के संगत सभी हथकरघा पोशाकों के कनाडा और सूती हथकरघा पोशाकों के आस्ट्रिया को निर्यात के मामले में, ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय समझौतों में निर्धारित शर्तों के अनुसार वस्त्र समिति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

20. पूर्व सूचना दिए बिना पहले के किसी भी उपबन्ध का संशोधन करने के लिए सरकार को अधिकार है।

21. सम्बद्ध निर्यात सम्वर्धन परिषद और वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त के कार्यालयों के पत्ते निम्न प्रकार से हैं :—

1. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 58, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
2. ऊन तथा ऊनी वस्तु निर्यात संवर्धन परिषद, 612/714, अशोक इस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
3. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, पोस्ट बाक्स स०, 11500, बम्बई-400020
4. वस्त्र समिति, "क्रिस्टिल, 79, डा० एनी बिन्सेंट रोड, बम्बई-400018
5. विकास आयुक्त, (हस्तशिल्प), वेस्ट ब्लाक, 7, आर०के० पुरम, नई दिल्ली-110022

आनन्द सरूप, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 14th September, 1983

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 41-ETC(PN)/83

Subject :—Scheme for exports under OGL-3 of Garments and Knitwear to USA, EEC Member-States, Austria, Finland and Canada from 1-1-1984 to 31-12-1984.

F. No. 2/57/83-E.I.—This Scheme relates to the exports of certain readymade garments and knitwear items to USA, EEC Member States (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, United Kingdom, Irish Republic, Denmark and Greece), Austria, Finland and Canada for the period 1st January, 1984, to 31st December, 1984.

2. Agencies for Administration of the Scheme.—Unless otherwise directed, the Apparels Export Promotion Council, (A.E.P.C.), New Delhi, will allocate export entitlements and do the necessary certification for export of all garments and knitwear covered by this Scheme, except that the entitlements for woollen knitwear would be allocated by the Wool and Woollens Export Promotion Council (W&WEPC), New Delhi. However, in respect of woollen knitwear, necessary certification would continue to be done by the Apparels Export Promotion Council. Lists of categories of Textile Products covered under the Scheme are available with the Apparels Exports Promotion Council and Wool and Woollens Export Promotion Council. Government reserves the right to make changes, as considered appropriate, with regard to the agencies for the administration of the Scheme.

3. Systems and Quantum of Allotment :

(i) Quantities for export will be allotted according to the following systems at rates indicated against each of them :—

Systems	% of the Annual level 1984
(a) Past Performance	50
(b) FCFS Small Orders	35
(c) Manufacturer Exporters	10
(d) Central/State Corporations	5

(ii) Government reserves the right to use flexibilities provided in the bilateral Agreements as considered appropriate.

4. Division of the Allotment Year and Apportionment of Quantities Among Periods :

(i) In the case of Past Performance and Manufacturer Exporters Systems, the full calendar year will be considered as one period for the purpose of allotment of quantities for export. In the case of Central/State Corporation and FCFS Small Orders Systems the year will be divided into 3 four-monthly periods namely January-April, May-August and September-December in the case of woven items and into two periods namely January-August, September-December for knitted items. In these two systems quantities for woven items will be distributed among the three periods in the ratio of 50 : 35 : 15, whereas the quantities for knitted items will be distributed between the two periods in the ratio of 85 : 15.

(ii) The above percentage may be re-adjusted from time to time by Government depending upon trends in the overseas market.

5. Reservation of Segments

(i) In the case of FCFS Small Orders and Central/State Corporations systems wherever knitted garments are clubbed with woven garments for

allocation, 10% of the quantity available will be reserved for knitted garments.

(ii) For childrens' garments, 10% of the quantities available in all categories at the terminal dates will be reserved.

(iii) For woollen garments there will be reservation in terms of quantity in specified countries and categories. This will be announced by the Textile Commissioner.

6. Past Performance System

Agency for calculation of Past Performance Entitlement :

(i) The Agency for calculation of the entitlement of quantities under Past Performance Systems in respect of each exports will be the Apparels Export Promotion Council (AEPC) New Delhi. Textile Commissioner will supervise this work of the AEPC.

Eligiblity for Past Performance Entitlement

(ii) An exporter will be eligible for allotment of quantities under the Past Performance System for 1984 only if he has export performance in the relevant country|category during 1982 or January-June 1983.

Base Period

(iii) The Past Performance Entitlement will be determined for each country|category combination pro rata on the basis of average annual exports during the base period of 1981, 1982 and January-June, 1983. The pro rata allotment of Past Performance Entitlement will be subject to a maximum ceiling equivalent to the average annual export performance of the exporter during the base period in the relevant country|category. In the case of any subsequent change in the entitlement of any individual exporter the entire exercise of pro rata quantity need not be re-opened but suitable adjustments will be made in the entitlement of the exporters concerned.

Transferability of Past Performance Entitlement

(iv) Past Performance Entitlement will be transferable either in full or in part to another registered exporter of garments at any time during the year subject to the following terms and conditions :—

(a) Shipments against such transferred entitlement will be counted as the exports of the transferee;

(b) The transferred entitlements in the hands of the transferee will be subject to the same terms and conditions as those applicable to the transferer.

(c) An exporter who has transferred his entitlement in a particular country|category to another exporter either in full or in part, will not be eligible for seeking a transfer of Past Performance Entitlement from any other exporter to himself in the same country|category.

(d) An exporter who obtains entitlement by transfer from any other exporter in a particular country|category, either in full or in part, will not be eligible to transfer any entitlement to another exporter in the same country|category.

(e) A Past Performance Entitlement holder who obtains any entitlement under FCFS Small Orders System in a particular country|category will not be eligible to effect any transfer from the Past Performance Entitlement in that country|category after he obtains such Small Orders Entitlement.

7. First-come, First-served Small Orders System.—Under this system, quantities will be allotted on first-come, first-served basis against applications supported by firm contracts and letters of credit. Letters of Credit should be valid, operative and irrevocable. Allotment of quantities shall be made only for Small Orders. Small Orders are those which are within the quantitative limits fixed by the Textile Commissioner for different country|category. Such quantitative limits will be announced in due course. The allotment under this system will be subject to the following conditions:—

(i) The exporter should be registered with the AEPC (or W&WEPC for woollen knitwear) for at least a period of six months before the date of submission of the application for allotment.

(ii) Only one application will be admissible from one exporter for one country|category on one day. However, more than one application can be made provided that the total quantity covered by such applications is within the stipulated quantitative ceiling.

(iii) Allotment under this system will be valid for a period of 35 days, subject to the condition that the validity of all allotments shall expire after 10 days of the concerned allotment period. In the last period allotments will be valid only upto December 31, 1984.

(iv) Allotment will be granted on FCFS basis, and on a day when available quantities are oversubscribed, the eligibility will be decided on the basis of higher Unit price realisation.

(v) An exporter with Past Performance Entitlement will be eligible for applying under this System after exporting at least 50 per cent of his Past

Performance Entitlement for the relevant country|category as worked out according to para 6(iii). He will also have the option of surrendering the entire balance of Past Performance Entitlement that he holds in the relevant country|category and then applying under FCFS Small Orders, provided he has not effected any transfer from his Past Performance Entitlement in that country|category.

(vi) A Manufacturer-Exporter entitlement holder will have to utilise his full such entitlement before becoming eligible to apply under the FCFS Small Orders System.

8. Manufacturer-Exporters System.—In this system quantities to the extent of 10 per cent of the annual level will be allotted to Manufacturer-Exporters. The Textile Commissioner will decide the eligibility for allotment under this system for which he will issue detailed instructions.

9. Central|State Corporations Systems.—For Corporation under the control of the Central|State|Union Territory Governments and Apex Co-operative Handloom Marketing Societies at the Central|State Levels, there will be a special allocation not exceeding 5 per cent of annual level. The allocation will, however, be made only for direct exports by these Corporations|Apex Societies. The Corporations|Apex Societies will also be eligible for allotment of quantities under other Systems of allotment subject to fulfilment of conditions laid down in the Policy. The Textile Commissioner will determine the entitlement of the Corporations|Apex Societies.

10. Slow Moving Items.—For identification of Slow Moving items, performance during the first four months of 1983 and performance during 1982 will be taken into account. An item could be termed slow-moving if during the period under reference its exports have not exceeded 60 per cent of the level earmarked for the first period of 1983 during the entire year 1982. Government however, reserves the right to change the criteria during the course of the year if warranted by the demand trend and pace of utilisation of annual levels. Notwithstanding any thing contained elsewhere in this Public Notice the following facilities will be available to items declared as slow-moving :

(i) Registration with A.E.P.C. can be done at any time during the year for eligibility under the FCFS Small Orders System.

(ii) There shall be no compulsory L.C. stipulation.

(iii) There shall be no Earnest Money Deposit|Bank Guarantee requirement only a performance bond for payment of 1 per cent of FOB, in case of shortfall in performance against allotment as stipulated in para 14, will be required.

(iv) The quantitative ceiling stipulated in the case of FCFS Small Orders application shall not be enforced. There shall also not be any restriction on the number of application that can be submitted in one a day in one country|category.

(v) Certification of shipping bills under FCFS Small Orders System for slow moving items will be valid upto the end of the allotment period during which the application has been submitted subject to the condition that validity of all allotments shall expire after 10 days of the concerned allotment period.

(vi) There may be separate floor prices for childrens' garments in slow moving items.

11. Minimum Export (Floor) Price.—Normally there shall be only one floor-price for each country|category. The Textile Commissioner will prescribe the floor prices. In determining them he will take into account all relevant factors, including the fact whether a particular garment item has been identified as a slow-moving one or not.

12. Validity period of Certification of Export Entitlement.—A certification on the shipping bill shall be valid for a period of 21 days except in the case of FCFS Small Orders Systems, where the validity period will be as stipulated in para 7.

13. Letter of Credit.—The allocation for all garments and knitwear will be made on L.C. terms, L.C. should be operative, valid Orders and irrevocable. In the case of FCFS Small Orders and Central|State Corporations Systems, L.C. should be submitted alongwith the application. In the case of Past Performance and Manufacturer-Exporters Systems L.Cs. should be produced at the time of obtaining endorsements. L.Cs. will not be required for slow moving items declared as such in terms of para 10.

14. Earnest Money Deposits, Bank Guarantees and Forfeiture Thereof.—(i) In the case of Past Performance and Manufacturer Exporters Systems, an exporter shall not be required to furnish any Earnest Money Deposit or Bank Guarantee for quantities shipped during the period January-April, 1984. He shall be required to furnish EMD|Performance Bond backed by Bank Guarantee to the extent of 10 per cent of the FBO value of export entitlements retained beyond 30th April, 1984. The last date for production of such EMDs|Bank Guarantees will be 31st May, 1984. Shipment effected after 30th April, 1984, but before submission on EMD|Bank Guarantee (which should be before 31st May, 1984), need not be covered by EMD|Bank Guarantees. Quantities which are neither shipped nor covered by EMDs|Bank Guarantees, by 31st May, 1984, will be considered as surrendered. An exporter may further surrender his entitlement, or part thereof, on or before 30th September, 1984, after payment of

50 per cent of the EMDs|Bank Guarantee furnished by him for quantities so surrendered.

(ii) In the case of FCFS Small Orders and Central|State Corporations Systems, an exporter shall be required to give Earnest Money Deposit|performance bond backed by Bank Guarantees at the rate of 5 per cent of the FOB value of the quantities applied for.

(iii) For the slow moving items identified as such under the provisions of the Scheme a performance bond for payment of 1 per cent of the F.O.B. value in case of shortfall in performance. would be required in place of EMD|Bank Guarantees as mentioned above.

(iv) An exporter, who exports not less than 90 per cent of the export entitlement allotted to him within the whole year under Past Performance or Manufacturer Exporter Systems, or in a particular period under other Systems of allotment, will not be liable to forfeiture of EMD|Bank Guarantees. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 90 per cent will be liable to proportionate forfeiture. If the utilisation of export entitlement allocation is less than 75 per cent the exporter will be liable for forfeiture of EMD|Bank Guarantee in full. This will be subject to conditions of force majenre, where these arise.

(v) In the case of Central|State Corporations where the utilisation is not less than 75 per cent within the validity period, the exporter will have the option to seek extension for the next allotment period within the export entitlement year. Applications for such extension should be filed within one month of the end of the relevant allotment period. In such cases, the exporter will have to furnish EMD|Bank Guarantee at double the normal rate for the balance quantity. In case of his failure to export fully the EMD|Bank Guarantee will be liable to be forfeited in full.

(vi) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlements in future without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

15. Appeal Against Forfeiture of EMDs|Bank Guarantees.—For the purpose of giving due consideration to representation made by exporters against forfeiture of EMDs|Bank Guarantees for non-utilisation of allotted export entitlements, the following procedure will apply. On forfeiture of EMDs|Bank Guarantees by the Apparels Export Promotion Council, the exporters concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner, Bombay within fifteen days of receipt of the communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of the representation give a ruling as early as possible. If, in any case, the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The Second appeal will be with the Department of Textiles and will be dealt with by an Appellate Committee constituted by the Government.

16. Merger of available-Quantities from 1st October, 1984.—Notwithstanding anything contained elsewhere in this Public Notice all balance of qualities available as on 1st October. 1984, from unallocated levels or surrenders shall stand merged into a common pool and shall be allocated under the FCFS SMALL ORDER SYSTEM without any reservation for different segments.

17. Supervision of Allocation of Export Entitlements.—The Textile Commissioner, Bombay, will continue to exercise day-to-day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A co-ordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representatives of the concerned EPCs as Members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

18. Clearance by Customs :

A. Products under restraint.—Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of Shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Apparels Export Promotion Council or any other appropriate agency designed by this purpose.

B. Handloom Garments.—In so far as exports of all handloom garments corresponding to restrained items to Canda and Cotton handloom garments to Austria are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of "Inspection Endorsement" by the Textile Committee in Part 2 of the combination form. In the case of Exports of handloom garments to USA, EEC and Finland, Customs will permit shipments after verification of certification by the Textile Committee as to the handloom origin of the goods.

C. Garments falling under "India Items".—In respect of "India Items" which are traditional folklore handicraft textile product of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria and Canada on the basis of appropriate Certificates issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) or the Textile Committee.

19A. Export Certificate, Certificate of Origin and VISA.—The following certificate required under the relevant bilateral textile agreement will

be issued by the Apparels Export Promotion Council or any other duly authorised in this behalf :

(i) EEC—(a) Export Certificates and Certificate of Origin for all garment|knitwear items under restrained.

(b) Certificates of Origin for all non-restrained garments|knitwear items.

(ii) Finland.—Export Certificates for restrained items.

(iii) Austria—Export Certificates for cotton powerloom|mill-made garments subject to restrained or surveillance.

(iv) Canada.—Export Certificates for garments of knitted powerloom and mill-made origin which are subject to restraint except for consignments valued at Canadian $ 500 or less.

(v) U.S.A.—(a) VISA for all garment|knitwear consignment valued over US $ 250.

(b) Exempt Certification for consignments valued at US $ 250 or less.

19B. Handloom Certificates.—In the case of export of all handloom garments corresponding to restrained items to Canada and of Cotton handloom garments to Australia, the Textile Committee will issue the certificates as prescribed in the bilateral Agreements for such products.

20. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

21. The address of the concerned Export Promotion Council and of the offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows:—

1. The Apparels Export Promotion Council, Sahyog Bhavan, 4th Floor, 58, Nehru Place New Delhi-110019.

2. The Wool and Woollen Export Promotion Council, 612|714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

3. Office of the Textile Commissioner, Post Box No. 11500, Bombay-400020.

4. Textile Committee 'Crystal' 79, Dr. Annie Basant Road, Bombay-400018.

5. Development Commissioner (Handicrafts), West Block VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

ANAND SARUP, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983